

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु


क्रमांक : लोक अदालत / 2017 /

दिनांक:-

-: निर्णय :-

प्रार्थी श्री विमलादेवी पत्नी विजयसिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी विजयसिंह
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डा. 66 पटवारी मण्डल डा. 66
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 333 में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति विमला पत्नी विजयसिंह कित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से विमलादेवी पत्नी विजयसिंह कित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का डा. 66 से करवाने पर पटवारी ने विमला पत्नी विजयपाल
बजाय विमलादेवी पत्नी विजयसिंह करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में
विमला पत्नी विजयपाल के बजाय विमलादेवी पत्नी विजयसिंह उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 138 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अगिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
ग्राम डा. 66 के खाता संख्या 333 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति
विमला पत्नी विजयपाल के स्थान पर सम्मानजनक रूप से विमलादेवी पत्नी विजयसिंह दर्ज
करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

